तत्काल/महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 1996

क्रमांक एम. 19-158/1996/4/1

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—नियम/अधिनियमों में समय-समय पर किये जा रहे संशोधनों पर अविलम्ब पालन के संबंध में.

विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग के नियम/अधिनियमों में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं जिनका प्रकाशन राजपत्र में कराया जाता है. प्रायः देखा गया है कि ये नियम/अधिनियम क्षेत्रीय अधिकारियों के ध्यान में नहीं आते क्योंकि उनके द्वारा राजपत्र का नियमित अवलोकन नहीं किया जाता. इस कारण इन नियमों/अधिनियमों का पालन नहीं हो पाता. इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि शासन के जिन विभागों द्वारा नियमों/अधिनियमों का संशोधन किया जाता है या नये नियम प्रभावशीलं किये जाते हैं वे राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही इन नियमों/अधिनियमों की प्रति कार्यकारी निर्देशों सहित क्षेत्रीय अधिकारियों को अवश्य भेजें. इन कार्यकारी निर्देशों में सरल भाषा में स्पष्ट किया जाय कि अधिनियम/नियम का पालन करने के लिए क्या कार्रवाई करना होगी. ये निर्देश सीधे उस स्तर तक भेजे जाएं जहां उन पर कार्रवाई अपेक्षित हो.

हस्ता./-
(इन्द्रनील शंकर दाणी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 1996

पृ. क्र. /एम.19-158/1996/1/4

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
3. सचिव, राजस्व मंडल, मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर/कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल/मानव अधिकार आयोग,
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल,
9. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(सीमा शर्मा)
उप सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.